राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ पी एस/आयुक्त /लोकपाल/2012–13 जयपुर, दिनांक 5 APR 2013

विज्ञप्ति

लोकपाल/उपलोकपाल हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 (1) के तहत राज्यों में लोकपाल नियुक्त करने हेतु अपने आदेश क्रमांक जे. 11011/21/2008/नरेगा/दिनांक 07.09.2009 द्वारा निर्देश जारी किये है। उक्त निर्देशों की पालना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत योजना क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों एवं अभाव अभियोग के निराकरण की प्रभावी प्रणाली जिलो में स्थापित करने हेतु जिला स्तर पर लोकपाल/उपलोकपाल की नियुक्ति किये जाने हेतु जिला (1) बारां (2) बांसवाड़ा (3) बूंदी, (4) झालावाड़ा, (5) जोधपुर, (6) कोटा (7) नागौर, (8) प्रतापगढ़ एवं (9) टोक के लिए पात्र एवं योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2013 तक जिला स्तर/राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या ई मेल से आमंत्रित किये जाते है।

ई–मेल पता :– nrega. raj @ gmail.com
विभागीय पता :– आयुक्त नरेगा,
कमरा नम्बर 8121, उत्तरी पश्चिमी भवन,
शासन सचिवालय, जयपुर।

लोकपाल/उपलोकपाल हेतु शर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. आवेदनकर्ता प्रतिष्ठित, निष्ठावान, विवाद रहित अखण्ड सत्यनिष्ठा एवं गैर राजनैतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो तथा जिसे लोकप्रशासन, विधि, अकादमी, प्रबन्धन एवं सामाजिक कार्य का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो, शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो तथा उसकी आयु दिनांक 01.01.2014 को 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।

2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण व भ्रमण कर सके।

3. नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए होगी, जो कार्य मूल्यांकन पर 1 वर्ष के लिए बढायी जा सकेगी। परन्तु 65 वर्ष की अधिआयु पर नहीं बढायी जायेगी।

4. लोकपाल पैनल राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमादित किया जावेगा तथा चयनित व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय देय होगा।

5. लोकपाल पैनल चयन जिलेवार होगा। अतः आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय के माध्यम से इस विभाग को भिजवायें।

6. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in देखें।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस